आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 891/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

मे. गुरुचरण सिंह बलदेव सिंह, विदिशा	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएबीएफजी 6082 एच		

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री आशीष गोयल तथा एन.डी.पटवा, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री एस.एस.मंत्री, आयकर आयुक्त
सुनवाई तिथि	08.06.2021
उद्घघोषणा तिथि	28.06.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-2, भोपाल के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन आदेश दिनांक 16.08.2019 के विरूद्ध निदेशित हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना,2020" के तहत आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । "विवाद से विश्वास योजना,2020" हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपील को वापिस लेना अपेक्षित है अतः इस अपील को वापिस लेने हेतु अनुरोध किया गया ।

3. दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लेने हेतु पात्र होने के उद्देश्य से वर्तमान अपील को वापिस लेने हेतु किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया ।

4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना,2020" में भाग लिया है, अतः निर्धारिती को वर्तमान अपील को वापिस लेना हैं । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा निर्धारिती द्वारा दाखिल वर्तमान अपील को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते है ।

5. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 28.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उदघोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 28.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल